



1269


1236



1
 1 फरवरी 2011 को 2011/13-12-11
 द्वारा पंजीकृत पत्र
 न्यायिक प्रकरण
 13-12-11



04AA 001028/11



13-12-11

1960 के अधिनियम
 1960 के अधिनियम
 1960 के अधिनियम
 1960 के अधिनियम
 1960 के अधिनियम

23 I.A with the permission
 by L.R.D.C. Simdega vide
 Case No. 307/2011-12
 orders dated


MSB
 13-12-11
 13/12/2011
 25-11-11

§18 लेख्यकारीगण:- §18 श्री आनन्द लाल केरकेटा वो §28 श्री
 तारसियुस केरकेटा पिता स्वो भिन्दोर केरकेटा, जाति-
 छडिया, धर्म- इसाई, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम-
 इमरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा।

... विवेकागण।


शपथपत्र संख्या:- 845/846/2011
 F. 60

अन्वय केरकेटा
 पिता स्व देव नरसि केरकेटा
 ताय. डुपरीली थाना, रिमडेगा
 जिला, सिमडेगा
 13-12-11



-2-

॥ 2 ॥ लेख्यधारिणी:- फतिमा सोरेंग पति श्री मानुकेल हुंगुंग, जाति- खड़िया, धर्म- इसाई, पेशा- गृहिणी, निवास ग्राम- डुमरटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।



001029/11

.. भारतीय नागरिक .. क्रेतिका ।

समय-पत्र संख्या:- 847 / 2011
f-60

सही तरसिखुय केलेह
कि. किशोर कां.
13-12-11

॥ 3 ॥ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रा टिक सदा सर्वदा के लिए होता है ।

॥ 4 ॥ मूल्य:- मोबलिंग छः लाख नवासी हजार रुपये अके 6,89,000/- रुपये होता है ।


॥ 5 ॥ सम्पति:- एराजियात अदर मौजा- सिमडेगा डुमरटोली, थाना- सिमडेगा, थाना नं० 116, सखर राजिस्ट्री ऑफिस वो जिला- सिमडेगा के खाता नं० 17 अंतरह प्लॉट नं० 1316 अंतरह सौ सोलह रकबा 0.20 एकड़ बीस डिसमिल आवासीय जमीन, जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।

जिसकी चौहद्दी:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंग,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंग,

पूरब :- मुख्य सड़क श्रवकी रोड,



केरकेह

अन्नप केरकेह
पिता- स्व. शिवहर
माता- उमरती

सिमडेगा
सिमडेगा

ता. 13-12-2011



--3--

पश्चिम:- प्लॉट नं० 1315,

मालगुजारी 20 पैसा ४बीस पैसा ४ अलावे सेस सलाना ।

११॥ चूंकि हम लेख्यकारीगण को बिमारी का इलाज कराने एवं अन्य दोगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों की जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब हमलोगों ने लेख्यधारिणी से हमारी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।


१२॥ इसलिए हमलोगों ने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उक्त लेख्यधारिणी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचे और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारिणी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिये । अब से बेची गई जमीन पर न हमारा कोई हक सरोकार रहा और न हमारे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न जाइदा रहेगा ।

१३॥ हमलोग प्रतिज्ञा करते हैं कि विक्रीत वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में हमारे दादा काली खड़िया वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । हमारे दादा एवं पिताजी की मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक झगदा बँटवारा हो चुका

सही
रसिधुस के (बेदा)
के बिना 15-12-11 31 नोव 11



13-12-11



—4—

है । जो जमीन हमलोग बेच रहे हैं हमारे नीज हिस्से की जमीन है जिसपर हमारा निर्विवाद हक टखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ चूंकि हम उभय पक्ष आदिवासी समुदाय के सुरक्षित सदस्य हैं अतः जमीन खरीद बिक्री हेतु अनुमति के लिए श्रीमान् उप समाहत्ता भूमि सुधार, सिमडेगा के न्यायालय में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 46 के तहत आवेदन दिया । जिसका वाद संख्या 307/2011-12 है जिसकी स्वीकृति दिनांक 25.11.11 को प्राप्त हुई एवं जिसका मेमो नं० 1197/11 दिनांक 25.11.2011 है ।

§5§ अब चाहिए कि लेखधारिणी अपनी जमीन पर कांकि वो टखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर टाखिल खारिज कराकर तारीख लेख से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§6§ इसलिए यह विक्रय पत्र केवाला कैला कलामी सदा दिन के लिए लिख दिये कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

सही तरसिमुस केबेक्षा के.विश्वी/011.3-1-नगत/रस्य के.र.क.ए। 13.12.11





- 5 -

हमलोग लेख्यकारीगण यह घोषणा करते हैं कि विक्रीत जमीन वो बचत जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

अनन्तुस करकेडा

13-12-11

अनन्तुस करकेडा



सही करसिद्धम कोकेडा
श्री. किशोर बा.
13-12-11

सही करसिद्धम कोकेडा
श्री. किशोर बा.
अनन्तुस करकेडा
13-12-11

13-12-11



अनन्तुस करकेडा श्री. अनन्तुस करकेडा और
करसिद्धम कोकेडा श्री. अनन्तुस करकेडा श्री. अनन्तुस करकेडा
श्री. अनन्तुस करकेडा श्री. अनन्तुस करकेडा


अनन्तुस करकेडा
13-12-11



--6--

मैं लेखधारिणी यह घोषणा करती हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरीदगी के बाद कुल धारित जमीन सिलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है।

फतिमा सोरिंग
13.12.2011



मौलाना अमीरुल्लाह खान साहब के माध्यम से जमीन का ब्यापार हुआ है।
जिसके माध्यम से जमीन का ब्यापार हुआ है।


1
Atkarsen
13-12-11

उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सही/- Atkarsen
13-12-11
प्रारूपकर्ता
तारीख:-

खदी
तरसिफुल कदकदा
को किशोर अरि
13-12-11
अननतुल कदकदा
13-12-11





-7-


प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल सात पृष्ठों में कुल 596 शब्द टंकित हैं जो छपडन रहित वो नक्सा सहित है। एवं पृष्ठ संख्या 8 से 9 तक खाली है।


टंकक

मो० मकसुद
13-12-11

मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा।

सही
तसिसुल कोकड़ा
ब. किशोर बा.
13-12-11
3101मल्लुस कोरकेट्टा
13-12-11






--8--

सही.
वरसिद्ध कोषा
बं. किशोर ऑर.
13.12.11

आनगुस केरकडा
13.12.11



20 Rs.



--9--



सह

वरिसुभ कोकडा

प. विशाण ठा.

13.12.11

अनगसुभ केरकेडा

13.12.11